

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन  
डिक्री

दिनांक :- 29/01/2026

वादीया की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को खातेदार घोषित किया जाकर वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क. वादीया :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
17 पीबीएन	21/319	7 ता 14, 17 ता 20	3.036 हैक्.
ख. प्रतिवादी सं. 1:-			
चक	प.नं.	किला	तादादी
17 पीबीएन	21/318	13, 14, 15/1, 15/2 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2	2.277 हैक्.
	21/319	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2	

3  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



22/318 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 2.024 हैव.  
 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20 3.795 हैव.  
 कुल तादादी 8.096 हैव.



ग. प्रतिवादी सं. 2 ता 6 को ब.हि.ब.:-  
 चक प.नं. किला तादादी  
 17 पीबीएन 17/317 6/1, 6/2, 13, 14, 15/1, 15/2 1.012 हैव.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(3)  
 (उमम मिताव) आर.ए.एस.  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपस्थित अधिकारी एवम्  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 पीलीबंगा